UPSI010053842012

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, नवसृजित न्यायालय पॉक्सो एक्ट एवम् बलात्संग मामले, कक्ष संख्या–15, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी–(अशोक कुमार दूबे–प्रथम) (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP06081

सत्र परीक्षण संख्या–318/2012

CIS No.-3900318/2012

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम फारूक खां।

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त फारूक खां की ओर से द्वारा विद्वान अधिवक्ता हाजिरी माफी प्रस्तुत की गई, जो केवल आज के लिए स्वीकृत। अभियुक्त इस्लामुद्दीन उपस्थित आया।

थाना लहरपुर, जनपद सीतापुर की आख्या दिनांकित 17.10.2021 कागज संख्या–66क का अवलोकन किया। थाने की आख्यानुसार, अभियुक्त बाबू खां पुत्र हसीन खां, निवासी ग्राम नेवादा, थाना लहरपुर, सीतापुर की मृत्यु लगभग 02 माह पूर्व हो चुकी है। ग्राम प्रधान गनेशपुर नेवादा, विकास खण्ड लहरपुर, सीतापुर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत गनेशपुर नेवादा, विकास खण्ड लहरपुर, सीतापुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 16.10.2021 में भी आया है कि अभियुक्त बाबू खां पुत्र हसीन खां, निवासी ग्राम नेवादा, थाना लहरपुर, सीतापुर की मृत्यु लगभग 02 माह पूर्व हो चुकी है।

उपरोक्त आख्या तामील कुनिन्दा उप–निरीक्षक श्री अशोक कुमार सोनकर, थाना लहरपुर, जनपद सीतापुर द्वारा प्रस्तुत की गयी थी, जिन्होंने सी0डब्लू0–1 के रूप में उपस्थित होकर अपनी पृच्छा में कथन किया है कि दिनांक 30.09.2021 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश नवसृजित न्यायालय पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या–15, जनपद सीतापुर के आदेश के अनुक्रम में सत्र परीक्षण संख्या–318/2012, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम फारूख, धारा–363, 376, 366 आई0पी0सी0, मु0अ0सं0–187/2004, थाना लहरपुर के वाद में अभियुक्त बाबू खां की मृत्यु आख्या के संबंध में उनके गांव जाकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि बाबू खां पुत्र हसन खां निवासी ग्राम नेवादा, थाना लहरपुर, जनपद सीतापुर की लगभग दो माह पूर्व हो गई है। ग्राम प्रधान गनेशपुर नेवादा विकास खण्ड लहरपुर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो मेरे द्वारा पत्रावली में संलग्न किया गया है। अभियुक्त बाबू खां की मृत्यु आख्या–66क की पुष्ट पर मेरे द्वारा अंकित की गई है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। प्रदर्श–1 डाला गया।

अभियुक्त बाबू खां की मामले में मृत्यु हो चुकी है। अतः सत्र परीक्षण संख्या–318/2012, मुकदमा अपराध संख्या–187/2004, अन्तर्गत धारा–363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता, थाना लहरपुर, जिला सीतापुर के मामले में अभियुक्त बाबू खां के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली **दिनांक 24.11.2021** को वास्ते साक्ष्य पेश हो। साक्षी जरिए सम्मन तलब हो।

दिनांक 16.11.2021

(अशोक कुमार दूबे–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश नवसृजित न्यायालय
पॉक्सो एक्ट एवं बलात्संग मामले,
कक्ष संख्या–15, जनपद सीतापुर।
JO CODE : UP6081

कुशल/

Digitally signed by Ashok kumar Dubey
Date: 2021.11.16 16:02:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur